शपथ

प्रतिज्ञा-पत्र

हम पाटीदार समाज के समस्त सदस्यगण सत्य निष्ठां पूर्वक श्रीकुलदेवी माताजी की शपथ
लेकर प्रतिज्ञा करते है कि :-

हम समाज एवं राष्ट कि भलाई एवं सुधारहेतु सदा कार्य करेंगे । और समाज के सदस्यों से पालन कराने का प्रयत्न करेंगे।

समाज का यह विधान महेश्वर, करही, कसरावद, धामनोद, बडवाह क्षेत्र (जिला निमाड़) मध्यप्रदेश के समस्त पटीदारों कि स्वीकृति से बनाया है। हमारे स्वनिर्मित विधान का हम पालन करेंगे।

पाटीदार समाज, जिला निमाड़

मध्यप्रदेश

पाटीदार समाज जिला निमाड़

(महेश्वर, करही, कसरावद, धामनोद, बडवाह क्षेत्र)

व्यापक सम्मलेन दिनांक २२ सितम्बर २०१३-१४

पाटीदार समाज जिला निमाड़ का व्यापक सम्मलेन दिनांक २२ सितम्बर २०१३ को माँ अम्बिका देवीजी मंदिर धामनोद में मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के प्रांतीय अध्यक्ष श्री महेन्द्रजी पाटीदार कि अध्यक्षता
में तथा श्री कैलाशजी (बाबूजी) पाटीदार अध्यक्ष राज्य कृषक आयोग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। पाटीदार समाज के इस गौरवशाली सम्मलेन के अतिविशिष्ट अतिथि श्री घनश्यामजी
पाटीदार पूर्व केबिनेट मंत्री थे। इसमे श्री शंतिलालजी गामी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एवं चेयरमेन बीज विकास निगम मध्यप्रदेश शासन, श्रीमती माधुरीबेन पटेल महापौर नगर निगम बुरहानपुर , श्री कैलाशचंद्रजी पाटीदार अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खण्डवा, श्री खेमराजजी पाटीदार अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैक धार, श्री रामेश्वरजी पाटीदार पूर्व सांसद खरगौन, श्री कमलकिशोरजी पाटीदार अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धार, श्री ईश्वरलालजी पाटीदार उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण रतलाम विशेष अतिथि थे। इस व्यापक सम्मलेन में श्रीमान कैलाशजी (बाबूजी) पाटीदार अध्यक्ष राज्य कृषक आयोग ने समाज को संशोधित संविधान का विमोचन किया।

<u>समाज का विधान</u>

भाग - १

संगठन ढांचा, नियम, कर्तव्य एवं अधिकार

प्रस्तावना :-

पाटीदार समाज जिला निमाड़ का संगठन १९७६ से समाज के सर्वांगीण प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। समाज के वरिष्ठ प्रबुद्धजनों ने संविधान का निर्माण करके दिनांक १० अक्टूबर १९७६ में लागु किया गया था। हमारा संविधान प्रगतिशील है, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन किये जाते रहे है। संविधान प्रारम्भ होने के बाद दिनांक २४ अप्रेल १९७८ में प्रथम, २३ फरवरी १९९९ में द्वितीय, १९ मार्च २००७ में तृतीय एवं २२ अक्टूबर २०१३ में चतुर्थ संशोधन किया गया। संविधान निर्माण में पाटीदार समाज के महिला संगठन एवं सरदार वल्लभभाई पटेल युवा संगठन ने भी सहयोग किया है।

उद्धेश्य :-

पाटीदार समाज जिला निमाड़ के उद्धेश्य निम्नानुसार है :-

१. समाज, संगठन तथा सामाजिक जाग्रति एवं संस्कृति का उन्नयन।
२. शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति एवं कृषि सुधार।
३. नवयुवको एवं नवयुवतियो को संगठित करना व उनका सक्रीय सहयोग प्राप्त कर क्रांति लाना।
४. महिलाओ के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना।
५. सहयोग एवं सद्भाव ।
६. हर कोई अपनी उन्नति से संतुष्ट न हो, किन्तु सभी कि उन्नंती में अपनी उन्नति समझे।

नाम एवं कार्यक्षेत्र :-

इस संस्था का नाम पाटीदार समाज जिला निमाड़ है। कार्यक्षेत्र कि द्रष्टि से खरगौन जिले के अंतर्गत महेश्वर तहसील के ३५ ग्राम, करही तहसील के २७ ग्राम, कसरावद तहसील के ३० ग्राम, बडवाह तहसील के १७ ग्राम, धरमपुरी तहसील (धामनोद क्षेत्र) के २५ ग्राम सम्मिलित है।

मुख्यालय एवं पत्र व्यवहार :-

निमाड़ जिला पाटीदार समाज का केन्द्रीय स्थान धामनोद है जहाँ कुलदेवीजी माँ अम्बिका का

पवित्र मंदिर भी है। अतएव जिले का मुख्यालय धामनोद रहेगा। पत्र व्यवहार जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव के निजी पते पर किया जा सकता है।

सदस्यता :-

प्रत्येक ग्राम कि समिति अपने-अपने ग्राम में प्रत्येक घर के मुखिया को सदस्य बनावें। इस हेतु सदस्यता शुल्क २० रुपये (बीस रु.) लिये जावें। इस प्रक्रिया को प्रति तीन वर्ष में चुनाव के पूर्व अनिवार्य रूप से दोहराई जावे। किसी भी समिति में पद ग्रहण करने वाले या चुनाव में मतदान करने वाले व्यक्ति का सदस्यता शुल्क जमा कराकर साधारण सदस्य बनना जरुरी है।

समितियां :-

संगठन को चलने के लिए नीचे लिखे अनुसार समितियां होंगी।

१. **ग्राम समितियां-** ग्राम के प्रत्येक घर का मुखिया इस समिति का साधारण सदस्य होगा। ग्राम समिति अपने लिये एक कार्यकारिणी का चुनाव करेगी

२. **तहसील कार्यकारिणी:-** तीनो क्षेत्रो कि अपनी अपनी तहसील स्तरीय कार्यकारिणी समितियां रहेगी।

३. **जिला कार्यकारिणी समितियां :-** तीनों क्षेत्रो के लिए एक जिला स्तरीय कार्यकारिणी रहेगी।

४. **प्रबंधकारिणी समिति:-**तहसीलो एवं जिलो का कार्य चलाने के लिए अपनी -अपनी समितियां होगी।

चुनाव एवं कार्यकाल -

ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर समितियों के निर्वाचन मध्यप्रदेश पाटीदार समाज के चुनाव के अनुसार होते रहेंगे एवं उनका कार्यकाल भी प्रांतिय स्तर के निर्देशों के अनुसार रहेंगा। वर्तमान में यह तीन वर्ष का है।

साधारण सभा :-

तीनो क्षेत्रो के सभी पाटीदार सदस्यों कि एक साधारण सभा रहेगी। इस सभा कि बैठक आवश्यकतानुसार ही होगी परन्तु वर्ष में एक बार साधारण सभा का एक सम्मलेन होगा।तहसील स्तरीय व्यापक सम्मलेन भी वर्ष में एक बार अपनी-अपनी सुविधानुसार होगा। इसकी तारीख, समय,स्थान तथा व्यवस्था कि सूचना कार्यकारिणी समितियां देवेगी।

आडिट समिति :-

समाज के वित्तीय विषयो के विशेषज्ञो की चार सदस्यीय आडिट समिति रहेगी। वह समय-समय पर ग्राम समिति से लेकर जिला समिति तक आडिट करेगी।

सदस्यों कि उपस्थिति :-

समस्त कार्यकारिणी समितियों के सदस्य मिटिंग में उपस्थित रहेंगे। लगातार तीन मिटिंगो में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता निरस्त की जावेगी एवं उस स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव विधान के नियमो के अंतर्गत कर लिया जावेगा ।

अवधि :-

उक्त वर्णित समस्त समितियों का कार्यकाल प्रान्त के विधान के अनुसार रहेगा। नई समितियों के गठन तक पुरानी समितियां कार्य करती रहेगी। नई समितियों का गठन होते ही पुरानी समितियां भंग हो जायेगी, किसी भी प्रकार कि समिति के कोई सदस्य समिति से सम्बंधित नियमो का उलंघन करेंगे तो उन्हें समितियों कि अवधि समाप्ति के पूर्व भी प्रथक करने का अधिकार जिला समिति को रहेगा।

कोरम (गणपूर्ति) :-

सभी प्रकार कि समितियों हेतु कोरम आधे से एक अधिक का होना चाहिए, किन्तु सदस्यों कि उपस्थिति कम होने पर सभा निर्धारित समय पर स्थगित कि जाकर उसके आधे घंटे बाद जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उन्ही को कोरम मान लिया जावेगा तथा सभी मान्य होंगे।

आय के स्त्रोत :-

जिला कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार ग्राम समितियों को आवश्यक निर्देश देकर समय-समय पर अपने साधन जुटावेगी जैसे -१. सदस्यता शुल्क , २. तलाकनामे के निमित निर्धारित राशि, ३. समाज के नियमो का उलंघन करने वालों से आर्थिक योगदान की राशि, ४. बैंको में जमा राशि से प्राप्त ब्याज, ५. दान द्वारा प्राप्त धनराशि आदि। उक्त स्थानों से प्राप्त आय कि राशि समाज कि उन्नति हेतु अच्छे कार्यो पर खर्च कि जावेगी।

कार्यकारिणी के अधिकार :-

१. ग्राम समिति- अपने-अपने ग्रामो कि समस्याओं, प्रकरणों का निराकरण करना तथा निर्णय देना। आय-व्यय का हिसाब देना, समाज द्वारा पारित प्रस्तावों को ग्रामो में क्रियान्वित करना। ग्राम समिति के पास जो धनराशि एकत्रित होगी, उसे समिति के सदस्यों की राय से अच्छे समाजहित कार्यों के लिए खर्च करना।

२. तहसील समिति एवं जिला समिति - अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक जाग्रति लाकर

संगठन का कार्य करेगी। पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करना, ग्राम समितियों से एवं समाज के सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेना। समाज संगठन को चलने हेतु अर्थव्यवस्था के साधन जुटाना,
आय-व्यय का लेखा जोखा रखना, समाज को समय-समय पर उचित मार्गदर्शन करना आदि। जिला कार्यकारिणी द्वारा किसी भी मामले में सर्व सम्मति या बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

३. प्रबंधकार्यकारिणी समितियां - सभी प्रकार कि समितियों के पदाधिकारी अपने-अपने पदों से सम्बंधित कार्य करते रहेंगे।

अध्यक्ष - समस्त सभाओं कि अध्यक्षता करेंगे। मतदान की स्थिति में सामान मत आने कि दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार रहेगा। अध्यक्ष कि अनुपस्थिती में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यो के लिए अधिकृत रहेंगे।

सचिव - कार्यकारिणी के कार्य सञ्चालन कि जवाबदारी निभायेंगे। अपने विवेक से समस्त पदाधिकारियों, सदस्य एवं समितियों में तालमेल बनाये रखेंगे।

कोषाध्यक्ष - आय -व्यय का हिसाब रखेंगे। समितियों कि स्वीकृति से आवश्यक खर्च करेंगे। समितियों के खाते सुविधानुसार पोस्ट-आँफिसया या बैंक में खोले जायेंगे। ये खाते अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त खाते के रूप में खोले जायेंगे। कोषाध्यक्ष एवं सचिव कार्य सञ्चालन कि सुविधा हेतु अपने पास अधिकतम राशि क्रमशः एक सौ से लेकर एक हजार रुपये तक रख सकेंगे। समय-समय पर कार्यकारिणी समितियों कि मिटिंग बुलाने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव का रहेगा।

४. अध्यक्ष का निर्वाचन - तीनों क्षेत्रो में क्रमशः एक-एक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन रोटेशन पद्धति से होता रहेगा।

भाग - २

समाज के लिये नियम

समाज के उत्थान हेतु पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक व सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु नवयुवकों एवं नवयुवतियों को सामाजिक कार्यो के लिये दिशा दर्शन हेतु पारित प्रस्ताव एवं ठहराव -

<u>नियम क्रमांक - १</u>

अ)- मंगनी करने बाबद- पुत्र-पुत्रियों कि सगाई (मंगनी) विवाह योग्य उम्र होने के लगभग ही की जावें। सगाई और विवाह के बिच का समय एक या दो वर्ष का होना चाहिए। सगाई सोच-समझ कर की जावें। सगाई के बाद रिश्ते टूटने नहीं चाहिए।

ब)- रुप्पा (तिवारी) बाबद - रुप्पा (तिवारी) में परिवार की आर्थिक स्थिति के मान से सोने-चाँदी कि रकम कम से कम दी जावें, ताकि हमारे समाज कि गरिमा बनी रहे एवं नियम कि मर्यादाओं का पालन हो सके।

स)- विवाह कि तिथियों बाबद - विवाह की तिथियां प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया एवं बसंत पंचमी तय की जाती हैं। समाज की बढ़ती जनसँख्या, आर्थिक, शैक्षणिक, पारिवारिक,व्यापारिक प्रगति को द्रष्टिगत रखते हुए अक्षय तृतीया पर वैशाख सुदी। एकम से वैशाख सुदी पूनम तक (१५ दिन) और बसंत पंचमी पर माघ सुदी एकम से माघ सुदी पूनम तक (१५ दिन) तय कि जाती है। रामनवमी कि तिथियाँ पुर्णतः बंद की जाती है। यदि पंचांग के अनुसार तिथियों में घट-बढ़ हो तो तिथियां ही मान्य होगी। दिनों कि संख्या का महत्त्व नहीं होगा। पढ़ने वाले वयस्क युवा-युवतियों की परीक्षा अवधि के अनुसार विवाह कि तिथियों में छुट देने का अधिकार जिला कार्यकारिणी को होगा। यह छुट परीक्षा समाप्ति कि तारीख से पांच दिन की अवधि में होगी।

इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जैसे सार्वजानिक भागवत कथा, गायत्री परिवार या आर्य समाज का सार्वजानिक कार्यक्रम और भी विद्वानों के सार्वजानिक आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत निःशुल्क विवाह संस्कार कराना चाहे तो उन्हें जिला कार्यकारिणी के स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। साथ ही ऐसे विवाह कार्यक्रमों के निमंत्रण-पत्र नहीं बांटे जावेंगे। घर पर आशीर्वाद समारोह या सार्वजानिक भोज कि व्यवस्था भी नहीं होवेगी। ऐसे कार्यक्रम सादगीपूर्ण अर्थ एवं समय कि बचत के लिये किये जावें।

द)- बारात के समय बाबद - बारात एक ही समय की रखी जावेगी।

य)- सामूहिक शादियों के आयोजन बाबद - समाज हित में सामूहिक शादियों के आयोजन व्यापक पैमाने पर करने का निर्णय हुआ हैं। अक्षय तृतीया एवं बसंत पंचमी पर सामूहिक शादियों के आयोजन श्री उमिया माताजी मंदिर, उमियाधाम करोंदिया एवं श्री अम्बिका मंदिर, धामनोद में किये जावेंगे। जिले के अंतर्गत जितने भी सामूहिक विवाह का आयोजन हो, उनके नियम एक सामान होंगे। पाटीदार समाज कि विभिन्न कार्यकारिणीयां उक्त आयोजन में पूर्ण सहयोग करेगी।

नियम क्रमांक - २

कपड़ों के लेन-देन बाबद - विवाह या अन्य किसी भी सामाजिक रस्म (अवसर) में लड़की-दामाद एवं उनकी संतान को ही कपड़े दिए जावें। लेकिन किसी भी सगे-सम्बन्धियों को किसी भी प्रकार के कपड़ों का लेन-देन नहीं करें। इस नियम के अंतर्गत कपड़े लेने और देने वाले दोनों पक्ष

गुनाहगार है ही, किन्तु कपड़े लेने वाला पक्ष ज्यादा दोषी माना जायेगा।

<u>नियम क्रमांक - ३</u>

खाना (भेंट) देना तथा बाना रखने बाबद - मंगनी (सगाई) खाना, टीका, रुप्पा, बाना, आशीर्वाद समारोह में भेंट आदि सामाजिक रस्मों में दी जाने वाली नगद राशि अनिवार्य रूप से **बंद लिफाफे** में रखकर दी जावे। खुली राशि देने एवं धन के प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर सभी पक्ष रोक लगावें ।

<u>नियम क्रमांक - ४</u>

तलाक, पावती, तथा पुनर्विवाह बाबद -

अ)- गृहस्थ जीवन की शुरुआत विवाह संस्कार से होती हैं। विवाह हो जाने के पश्चात जीवन पर्यंत पति-पत्नी में प्रेमभाव व एकता बनी रहना आदर्श परिवार का घोतक हैं। किन्तु अपवाद स्वरुप कुछ परिस्थितिवश मन-मुटाव व अन्य कारणों से तलाक कि स्थिति जिन परिवारों में निर्मित हो जाती है, ऐसे परिवार बुद्धिहीनता, असहनशीलता अथवा स्वार्थीपन के परिचायक है। तलाक हो जाने के बाद तलाकशुदा लड़का, कुंवारी लड़की से शादी नहीं कर सकता है। उसे तलाकशुदा या विधवा लड़की से ही नातरा करना होंगा । पाटीदार समाज को कोई भी व्यक्ति लेवा या कड़वा अपनी कुआँरी लड़की की शादी की शादी तलाकशुदा लडके से सामाजिक नियमों के अनुसार या कोर्ट मैरिज के नियमानुसार नहीं करेगा। इस नियम का उलंघन करने वाले लड़के या लड़की पक्ष के परिवार, समाज कि सदस्यता से तीन वर्ष तक प्रथक रहेगें। सदस्यता पुनः ग्रहण करने हेतु आवेदन देने पर जिला कार्यकारिणी तीन वर्ष कि अवधि समाप्ति के बाद अपराध की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये निर्णय दे सकती है। नियम उलंघन करने वालों के सहयोगी भी उसी प्रकार समान रूप से दोषी माने जावेगें और नियम उलंघन करने वालों कि तरह तीन वर्ष के लिए समाज कि सदस्यता से प्रथक हो जावेगा।

ब) - विधुर होने कि स्थिति में विवाहित लड़का भी नातरा ही करेगा, कुआँरी लड़की से विवाह नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करने पर उस पर भी नियम क्र. ४ (अ) के अनुसार दण्ड लागु होगी।

स) - कोई भी पुरुष अपनी इच्छानुसार एक ही बार नातरा कर सकता है, यदि किन्हीं कारणों से पुनः नातरा करता है तो उसे तहसील या जिला कमेटी से स्वीकृति प्राप्त करना होगी। यह नियम बार-बार तलाक या नातरा कि प्रवृति पर रोक लगाने के लिए है।

द) - पावती होने कि दशा में दोनों पक्षों कि राजी-रजामंदी से गाँव में तलाक होता है तो दोनों पक्ष एक-एक हजार रुपये या एक तरफ़ा तलाक होने पा पावती चाहने वाला पक्ष दो हजार रुपये देकर समज के रसीद कट्टे से रसीद कटवायेगा। तहसील कमेटी में तीन हजार रुपये और जिला कमेटी में पांच हजार रुपये जमा कराकर दोनों पक्ष मिलकर या तलाक चाहने वाला पक्ष रसीद कटवायेगा। समाज के रसीद कट्टे से रसीद कटने पर ही तलाक मान्य होगा। दहेज़ एवं गहनों का लेन-देन भी कमेटी के समक्ष ही कर

दिया जावें। तलाक की राशि में से लडके व लड़की के ग्राम कमेटी को एक-एक हजार रुपये दिया जावे। तहसील एवं जिला कमेटी का शेष आकार उसी कार्यालय में जमा रहेगा।

नियम क्रमांक - ५

कड़वा-लेवा संबंध बाबद - कड़वा-लेवा पाटीदार लोगों में विवाह संबंध इस विधान के अनुसार किये जा सकते हैं।

नियम क्रमांक - ६

मृत्यु भोज बाबद - किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर कड़वा वगैरा में शामिल होने पर किसी भी साथ कोई प्रतिबंध नही रहेगा। मृत्युभोज सीमित किये जावें, चिट्ठियां या निमंत्रण कार्ड नही बाटे जावें तथा मृत्योपरान्त कार्यक्रम में बर्तन और कपड़े लेना-देना बिल्कुल बंद रहेगा। बर्सी में केवल १३ लौटे और १३ कटोरे ही दिए जावें।

नियम क्रमांक - ७

नियम उलंघन के बाद निर्णय का अधिकार - इस विधान के नियमों का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य का नैतिक कर्तव्य है। नियमों के उलंघन कि स्थिति में ग्राम समिति के पास अपने क्षेत्र अंतर्गत मंगनी, रुप्पा (तिवारी), कपड़ों का लेन-देन, खाना तथा बाना, पावती, मृत्युभोज के विषय रहेगें व नहीं सुलझने कि स्थिति में जिला समिति में प्रकरण भेजे जावे। कुछ प्रकरण जैसे- १) विवाह कि तिथि, २) तलाक होने या विधुर होने के बाद पुनर्विवाह आदि पर विचार करके निर्णय देने का अधिकार जिला कमेटी को ही रहेगा। नियम उलंघन करने वाले व्यक्ति या परिवार पर समितियां समाज के लिए आर्थिक योगदान कि राशि का निर्धारण विभिन्न स्तर की समितियां परिस्थितियाँ देखकर अपने-अपने विवेक से करेगी। समाज के सदस्य अपने सामाजिक संबंधों के प्रकरणों को समाज कि सम्बंधित समितियों में ही पेश करें व निर्णय देवें।

नियम क्रमांक - ८

निर्णय देने की समयावधि व निर्णय कि घोषणा - किसी भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से ग्राम समिति व तहसील समिति दो-दो माह तथा जिला कार्यकारिणी (तलाकशुदा, पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रकरणों को छोड़कर) तीन माह में अपना निर्णय दे देगी। न्याय सस्ता एवं सुलभ देने हेतु इस नियम का पालन लिया जावे। जिला पाटीदार समाज कि सदस्यता से प्रथक किये जाने वाले व्यक्तियों कि घोषणा विभिन्न स्तर कि समितियों में कि जावें।निर्णय कि सूचना जिला,तहसील व ग्राम कमेटी को दी जावेगी।

नियम क्रमांक - ९

सामाजिक न्यायपालिका (समझौता बोर्ड)- पाटीदार समाज के बिच किसी भी प्रकार के विवाद जैसे-आपसी मन-मुटाव, लेन-देन के प्रकरण, कोर्ट सम्बंधित प्रकरण एवं सामाजिक स्तर के विवाद आदि प्रकरणों को निपटने और समाज में एकता, सौहार्द्र,भाईचारा कायम रखने हेतु एक सामाजिक न्यायपालिका (समझौता बोर्ड) का गठन किया जावे।

नियम क्रमांक - १०

अनुशासन का पालन - समाज का कोई भी सदस्य समितियों के पदाधिकारियों को अपशब्द नहीं बोलेंगे। सामाजिक सम्मान बनायें रखें। सभी प्रकार कि समितियां अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुशासन का उलंघन करने वाले व्यक्ति को यथोचित दण्ड दे सकती है।

नियम क्रमांक - ११

समाज में नाचने कि प्रथा पर प्रतिबंध बाबद - आज-कल मांगलिक पर्वो के अवसर पर नवयुवक एवं महिलाएँ विशेषकर बरातों में जिस तरह नाचते हैं, उससे पाटीदार समाज कि प्रतिष्ठा को आंच आ रही है। नाचने गाने में अधिक समय बर्बाद होने से लग्न संस्कार के समय का भी ध्यान नहीं रखा जाता, अतएव जिला कार्यकारिणी समाज कि गरिमा बनाये रखने,समय और पैसे कि बर्बादी से बचाने के उद्धेश्य से समाज के प्रबुद्ध सदस्यों एवं विशेषकर वर-वधु पक्ष के बुजुर्ग महानुभाओं से उपेक्षा रखती है कि वे स्वप्रेरणा से इस प्रथा को प्रतिबंधित करने में सहयोग प्रदान करें। हमारी बहु-बेटियां एवं युवा वर्ग सडकों पर नाचे यह कतई शोभनीय नहीं है। बारात आदि सामाजिक कार्यो में डी.जे. बजाना एवं डी.जे.तथा बाजों पर नवयुवकों का नाचना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। बारात में बैंड-बाजे, ढोल-ताशे बजा सकते हैं।

उक्त नियम के पालन में ग्राम समिति पूरी सख्ती से अपनी भूमिका निभाएगी। पहले ग्राम समितियां ही इस बाबद उचित निर्णय करेंगी।

भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं एवं सुझाव

१- शिक्षा व्यवस्था -

समस्त पाटीदारों का यह पवित्र कर्तव्य है कि अपने पुत्र-पुत्रियों के सुख एवं समृद्ध भविष्य के लिए उनके उचित शिक्षण कि व्यवस्था करें। इस हेतु पाटीदार समाज अपने स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर अपने बालक-बालिकाओं का अच्छी शिक्षा एवं सुसंस्कार देने कि व्यवस्था करे। इस हेतु पाटीदार समाज शिक्षा समिति जिला खरगोन-धार से जो कि एक पंजीकृत संस्था है, से मार्गदर्शन लेवें। शिक्षा निधि एकत्र करने हेतु जिला शिक्षा समिति जो नियम बनावे, उसके अनुसार

आप पूर्ण सहयोग प्रदान करे ।

२- छात्रावास व्यवस्था -

पाटीदार समाज ने वर्तमान में मंडलेश्वर, सोमाखेडी में कन्या छात्रावास स्थापित किये है ।आप अपने बालक-बालिकाओं को वहां उत्तम शिक्षा के लिए भर्ती करावें । उच्च शिक्षा के लिए प्रथक से छात्रावास कि व्यवस्था करने में आप तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करें । श्री उमिया ज्योतिरथ बालक छात्रावास इंदौर में
प्रारम्भ हो गया हैं ।

३- दुर्व्यसनो की बढ़ती प्रवृति पर रोक लगाना -

आजकल समाज के नवयुवकों में दुर्व्यसनो के सेवन की प्रवृति बढ़ती जा रही है । शराब आदि के नशे का सेवन करने वाले नवयुवकों के परिवारों के लिए तो दुर्भाग्य कि बात है ही, लेकिन हमारे समाज के लिए भी कलंक कि बात है । अतः परिवार के मुखिया या अन्य जवाबदार सदस्यों का नैतिक कर्तव्य है कि उनके परिवार में दुर्व्यसनों का सेवन करने वालों नवयुवकों को इस प्रवृत्ति पर रोक लगावें ।

४- समाज सेवियों का सम्मान -

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले सेवाभावी व्यक्तियों का समय - समय पर सार्वजानिक रूप से सम्मान किया जावें ताकि अन्य व्यक्तियों को सेवा कराने कि प्रेरणा मिले । सभी तहसील एवं जिले स्तर पर ऐसे समारोह आयोजित करें ।

५- अंतर्जातीय विवाह संबंध के बारे में पाटीदार समाज के सुझाव एवं निर्देश -

आजकल हमारे समाज में भी व्यस्क युवक - युवतियों में अंतरजातीय विवाह सम्बन्ध करने कि कुप्रथा बढती जा रही है । इससे हमारे समाज कि गरिमा एवं प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है । अतएव पाटीदार समाज संगठन जिला निमाड़ अपने स्वजातीय सदस्यों को सुझाव एवं निर्देश देता है कि अपने परिवारों में एस कुप्रथा का पुर्णतः रोकने का प्रयास करें । पाटीदार समाज एस प्रकार के अवैध विवाह संबंधो को मान्यता नहीं देगा एवं उन युवक -युवतियों तथा उनके परिवार वालों को समाज के विधान के अनुसार वैधानिक निर्णय लेगा । आप सब से अनुरोध है कि आप संविधान के नियमों का पुर्णतः पालन करेंगे ।

६- सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंति मनाने बाबद -

सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि पाटीदार समाज के गौरव राष्ट्र पुरुष सरदार पटेल कि जयंति प्रतिवर्ष ३१ अक्टुबर को प्रत्येक ग्राम स्तर तक मनाई जावे । जिला पाटीदार समाज प्रतिवर्ष किसी नगर में विशाल पैमाने पर सरदार पटेल जयंति मानाने की योजना क्रियान्वित करें ।

७- उंझा के संबंध में -

पाटीदार समाज कुलदेवी श्री उमिया माताजी उंझा (गुजरात) के दर्शनार्थ वर्ष में एक बार अवश्य जावें

। अपने परिवार में मांगलिक कार्य हो तो प्रथम निमंत्रण उमिया माताजी को निमंत्रण भेजें। अपने परिवार में नवविवाहित जोड़े को श्री उमिया माताजी उंझा (गुजरात) आशीर्वाद लेने हेतु अवश्य भेजें।